

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं


| मु.न. | दायर दिनांक | अ. धा. | निर्णय दिनांक |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 31/2017 | 13.09.2017 | 91 एल.आर.एक्ट | 25.10.2017 |

सरकार बनाम महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति माली निवासी खेतड़ी तन कांकरिया

24.10.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिक्रमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का मणकसास नें सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम मणकसास के ख0न0 2093/409 रकबा 0.73 है0 किस्म गै0मु0 में से रकबा 0.30 है0 पर महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति माली निवासी कांकरिया तन खेतड़ी ने बाजरा काशत कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मणकसास के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल. आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का मणकसास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म गै0मु0 हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमी को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू0अ0निरीक्षक को अतिक्रमित रकबे से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा पटवारी हल्का/भू0अ0निरीक्षक को लिखा जावे की अतिक्रमी को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें।

अतिक्रमी द्वारा गै0मु0 भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.47 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 24/- अक्षरे चौबीस रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।


नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी